न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रशान्त शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 82 / 2020

प्रार्थीगण

1 नरेन्द्र बोस 2 ओमप्रकाश 3 प्रेमकुमार पिसरान बाबूराम जाति मेघवाल निवासी केरली नाड़ी हाजाणियों की ढाणी, तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1 बाबूराम 2 भारूराम पिसरान मेहराराम 3 भीखीदेवी पत्नी मेहराराम 4 हरीयोदेवी पत्नी लाभूराम 5 गजाराम 6 अखाराम पिसरान लाभूराम जाति मेघवाल निवासी केरली नाडी हाजाणियों की ढाणी 7 खेताराम पुत्र अनोपाराम 8 छोगाराम 9 राजूराम 10 मूलाराम पिसरान हुकमाराम 11 नेनू पत्नी चेनाराम 12 खेताराम पुत्र नेचलाराम 13 छुगाराम 14 राजूराम पिसरान शोभाराम जाति मेघवाल निवासी आदर्श महाबार 15 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधराम ग्रामीण बैंक शाखा महाबार तहसील व जिला बाडमेर 16 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 श्री प्रेम प्रजापत, वकील प्रार्थीगण।
2 श्री राणाराम गौड़, वकील अप्रार्थी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 28/01/20

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थीगण द्वारा एक ओवदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा केरली नाडी, हाजाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र मीठड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1535 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 1536 वर्तमान खसरा संख्या 2166 / 1536, 2167 / 1536 व 2168 / 1536 कुल रकबा 28.07 बीघा, खसरा संख्या 2015 रकबा 15.11 बीघा, खसरा संख्या 2018 रकबा 21.10 बीघा, खसरा संख्या 2082 / 2002 रकबा 78.00 बीघा भूमि तथा मौजा आदर्श महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 401 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 402 रकबा 82.18 बीघा कुल रकबा 83.10 बीघा भूमि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 14 की संयुक्त पैतृक कब्जे काश्त की भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के पड़दादा हरचन्दराम के नाम पर्चा लगान जारी हुआ। हरचन्दराम की फौतगी का नामान्तकरण प्रार्थीगण के दादा मेहराराम के नाम दर्ज हुआ। प्रार्थीगण के दादा मेहराराम की फौत होने पर अप्रार्थी संख्या 01 व उनके भाई अप्रार्थी संख्या 02 से 06 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। मौजा केरली नाडी, हाजाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र मीठड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1535 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 1536 वर्तमान खसरा संख्या 2166 / 1536, 2167 / 1536 व 2168 / 1536 कुल रकबा 28.07 बीघा, खसरा संख्या 2015 रकबा 15.11 बीघा, खसरा संख्या 2018 रकबा 21.10 बीघा, खसरा संख्या 2082 / 2002 रकबा 78.00 बीघा भूमि में अप्रार्थी संख्या 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:33:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बाडमेर

के 1/4 हिस्से में प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबे में 1/16–1/16 हिस्सा तथा मौजा आदर्श महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 401 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 402 रकबा 82.18 बीघा कुल रकबा 83.10 बीघा भूमि में विप्रार्थी संख्या 01 के 1/12 हिस्से पर प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबे में प्रत्येक का 1/48–1/48 हिस्सा पैतृक खातेदारी निहित का है। वादग्रस्त भूमि विप्रार्थी संख्या 01 को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई तथा प्रार्थीगण, विप्रार्थी संख्या 01 के जायन्दा पुत्र है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि की कीमते बढ जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त भूमि को राजस्व अभिलेख का फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि व कब्जे काश में दखलन्दाजी कर अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू है तथा प्रार्थीगण को कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की लगातार धमकियां दे रहे हे। यदि वह उसमें सफल होता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा दावे का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। लिहाजा प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नॉटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 के वकील उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी संख्या 16 पैरोकार सरकार उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया तथा आज उपस्थित नही हुए।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है पक्षकारान हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। पैतृक सम्पति में पुत्रों का जन्म से अधिकार पैदा हो जाता है। पुत्रों के हिस्सा तक की भूमि का यदि बेचान अन्य को हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। लिहाजा वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थीगण पूर्ण हकदार है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व अभिलेख का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाद ग्रस्त आराजी पैतृक भूमि है तथा मेहराराम [illegible] के पश्चात् उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण मेहराराम के पुत्रों के नाम से दर्ज [illegible] मेहराराम के पुत्र बाबूराम जो अप्रार्थी संख्या 01 है के पुत्रों [illegible] जन्म से ही हिस्सा निहित होने से पैतृक सम्पति में अपना हिस्सा पाने के अधिकारी [illegible] वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह तर्क उचित प्रतीत होता है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि की कीमते बढ जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त भूमि का राजस्व अभिलेख का फायदा उठाकर प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी कर अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू है। यदि वह उसमें सफल होता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। पैतृक सम्पति

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:33:35 IST
Reason: SelfAttested

(SDO) बाडमेर

प्रार्थीगण का हिस्सा जन्म से निहित होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा केरली नाडी, हाजाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र मीठड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1535 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 1536 वर्तमान खसरा संख्या 2166/1536, 2167/1536 व 2168/1536 कुल रकबा 28.07 बीघा, खसरा संख्या 2015 रकबा 15.11 बीघा, खसरा संख्या 2018 रकबा 21.10 बीघा, खसरा संख्या 2082/2002 रकबा 78.00 बीघा भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक 1/16–1/16 हिस्सा तक तथा मौजा आदर्श महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 401 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 402 रकबा 82.18 बीघा कुल रकबा 83.10 बीघा भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/48–1/48 हिस्सा तक अप्रार्थी संख्या 01 अभिलेख की यथा स्थिति बनाये रखे।

(प्रशान्त शर्मा)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 28.01.21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:33:35 IST
Reason: SelfAttested